भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3022

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल की उपलब्धत

3022. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता काफी तेजी से कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नदियों में गिराए जाने वाला 90 प्रतिशत उपयोगकृत जल पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा नहीं करता है और 65 प्रतिशत वर्षा जल समुद्र में चला जाता है और यदि हां, तो जल की बर्बादी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) किसी क्षेत्र तथा देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्यतः जल-मौसम विज्ञानी और भौगोलिक घटकों पर निर्भर होती है तथा आमतौर पर यह एक समान रहती है। तथापि, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता देश विशेष की आबादी पर निर्भर होती है तथा भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती हुई आबादी के कारणवश कम होती जा रही है। वर्ष 2001 और 2011 की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1816 घनमीटर तथा 1545 घनमीटर आंकी गई थी, जो वर्ष 2021, 2031, 2041 तथा 2051 में आगे और कम होकर 1486 घनमीटर, 1367 घनमीटर, 1282 घनमीटर तथा 1228 घनमीटर हो सकती है।

(ख) वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, भारत के शहरी केंद्रों से 62,000 मिलियन लीटर प्रति दिन अपशिष्ट जल (सीवेज) उत्पन्न होता है। इस आकलन में यह भी इंगित किया गया है कि लगभग 38,723 एमएलडी अशोधित अपशिष्ट जल, भूमि अथवा नदियों अथवा नहरों अथवा समुद्री तटीय जल में बहाया जा रहा है।

केंद्र सरकार विभिन्न नदियों के पता लगाए गए हिस्सों में प्रदूषण समाप्त करने तथा और वर्षा जल के उपयोग और संचय के लिए किए जा रहे प्रयासों में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती आ रही है।

नमामि गंगे कार्यक्रम (गंगा और उसकी सहायक नदियां) के तहत, गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने से पहले अपशिष्ट जल के शोधन की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 3729.92 एमएलडी नई एसटीपी क्षमता सृजन हेतु 1114.39 एमएलडी क्षमता की पुनर्बहाली और लगभग 4972.35 कि.मी. सीवर लाइन बिछाने के लिए 150 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं मंजूरी की गई हैं जिनकी लागत 23,130.95 करोड़ रू. है।

अन्य नदियों के संबंध में, सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत नदियों में प्रदूषण समाप्त करने के लिए लागत में हिस्सेदारी करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती आ रही है। एनआरसीपी के तहत अब तक, देश के 16 राज्यों में 77 शहरों की 34 नदियों के प्रदूषित हिस्से शामिल किए गए हैं जिसकी मंजूर लागत 5870.54 करोड़ रु. है और राज्य सरकारों को प्रदूषण समाप्त करने की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय हिस्से की 2378.73 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। एनआरसीपी के तहत अब तक 2522.03 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अतंरण की परिकल्पना है और 99 चल रही बृहत/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरु की गई हैं, जिससे जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

केंद्र सरकार द्वारा वर्षा जल संचय/ संरक्षण को बढ़ावा देने के लि किए गए कुछ प्रयास/उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****